कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 373 /XXV–12 /2008 (P–3)   देहरादून : दिनांक 9 अप्रैल, 2015

सेवा में,

श्री मुनुवा प्रिन्स,
अध्यक्ष,
फैज–ए–आम कमेटी, काशीपुर,
कार्यालय– कटोराताल, नई बस्ती, काशीपुर,
जिला उधमसिंहनगर।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 05 अप्रैल, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित बिन्दुवार सूचनायें निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैं:–

1. बिन्दु संख्या 01 में मांगी गयी सूचना के बारे में अवगत कराना है कि आपके द्वारा चाही गयी सूचना अस्पष्ट है, जिससे वांछित सूचना उपलब्ध कराई जानी सम्भव नहीं है।
2. बिन्दु संख्या 02 में मांगी गयी सूचना के बारे में अवगत कराना है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या 1708 दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा पत्र संख्या 1470 दिनांक 13 जनवरी, 2014 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है, जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित है।
3. बिन्दु संख्या 03 के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी, उधमसिंहनगर द्वारा प्राप्त आख्या को इस कार्यालय के पत्र संख्या 34 दिनांक 15 जनवरी, 2015 के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाष रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551

फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

संख्या– 34 /XXV– 40 15 / 2014 देहरादून : दिनांक 15 जनवरी, 2015

सेवा में,

श्री कुमार राजीव जी,
अवर सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड़
नई दिल्ली।

विषयः– लोक सभा चुनाव–2014–उत्तराखण्ड राज्य–आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–437/उत्तरा0–लो0स0/2014/उ0अनु0–II दिनांक 16 सितम्बर, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संदर्भ में मुझसे निवेदन सहित अवगत कराने की अपेक्षा की गई है कि उक्त प्रकरण पर जिला निर्वाचन अधिकारी, ऊधमसिंह नगर से नियमानुसार जाँच करवाई गई जिसमें उनके द्वारा अपने पत्र संख्या–1470 दिनांक 13 जनवरी, 2015 (प्रति संलग्न) के साथ सहायक नगर अधिकारी, नगर निगम काशीपुर (जाँच अधिकारी) की आख्य प्रस्तुत की गई जो निम्न प्रकार हैः–

अवगत कराया गया कि, श्री मुनुवा प्रिंस, अध्यक्ष रिक्शा, चालक यूनियन/अध्यक्ष फैज ए आम कमेटी, काशीपुर ऊधमसिंह नगर द्वारा शुभ कामना सन्देश की एक फ्लैक्सी नगरनिगम के मुख्य चौराहे पर स्थित द्वार पर लगा रखी थी चूँकि लोक सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी शासकीय सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार के बैनर/पोस्टर एवं फ्लैक्सी लगाया जाना प्रतिबन्धित है और इसी दृष्टिकोण से नगर निगम द्वारा उक्त फ्लैक्सी सहित अन्य बैनर/पोस्टर भी निगम की सम्पत्ति से हटाए गए थे। नगर निगम कर्मियों द्वारा उक्त कार्य किसी भी द्वेषभावना से नहीं किया *गया था। अतः श्री मुनुवा प्रिंस की शिकायत निराधार होने के कारण निरस्त करने योग्य है।*

अतः उक्तानुसार अवगत होते हुए जाँच अधिकारी की आख्या के आधार पर शिकायत को निरस्त करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

विषय– **आचार संहिता का उल्लंघन करने के संबंध में।**

पत्रांक–1470-29–आचार संहिता/2014 दिनांक 13 जनवरी, 2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके **पत्र संख्या–1708/XXV–3/दिनांक 20/10/2014** के संलग्न श्री मुनुवा प्रिंस, अध्यक्ष फैज–ए–आम कमेटी काशीपुर के शिकायती पत्र के मामले में सहायक नगर अधिकारी, काशीपुर की जांच आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

श्री सेमवाल

कृ. तत्काल जांच आख्या ECI को प्रेषित करने हेतु पत्रालेख प्रस्तुत करें।

14/1/2015
S.O.

कार्यालय–नगर निगम, काशीपुर जिला–ऊधमसिंहनगर

पत्रांक- 861 /मु0कार्यालय/2014–15 दिनांक 09/01/15

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

विषय :– श्री मुनुवा प्रिंस, अध्यक्ष रिक्शा यूनियन के शिकायती पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि श्री मुनुवा प्रिंस, अध्यक्ष रिक्शा चालक यूनियन द्वारा शुभकामना संदेश की एक फ्लैक्सी नगर निगम के मुख्य चौराहे पर स्थित द्वार पर लगा रखी थी चूंकि लोक सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी शासकीय सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार के बैनर/पोस्टर एवं फ्लैक्सी लगाया जाना प्रतिबन्धित हैं इसी को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम द्वारा उक्त फ्लैक्सी सहित अन्य बैनर पोस्टर भी निगम सम्पत्ति से हटाये गये थे। नगर निगम कर्मियों द्वारा उक्त कार्य किसी भी द्वेषभावना से नही किया गया था।

अतः श्री मुनुवा प्रिंस, अध्यक्ष रिक्शा चालक यूनियन द्वारा की शिकायत निराधार होने के कारण निरस्त करने योग्य हैं।

भवदीय

सहायक नगर अधिकारी
नगर निगम, काशीपुर

पंत्राक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, काशीपुर।

सहायक नगर अधिकारी
नगर निगम, काशीपुर

फैज–ए–आम कमेटी काशीपुर, उधमसिंह नगर

मुनुवा प्रिन्स
अध्यक्ष

कार्यालय :
कटोराताल, नई बस्ती, काशीपुर, जिला–उधमसिंह नगर
(उत्तराखण्ड) मो0–9368940525

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड सरकार
देहरादून।

विषय – लोक सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निम्न सूचना देने की कृपा करें के संबंध में।

महोदय,

आपका पत्र सं0–1708/XXV-3/दिनांक 20–10–2014 जो जिला निर्वाचन अधिकारी उधमसिंह नगर को सम्बोधित है, के क्रम में निम्न सूचनायें देने की कृपा करें।

1– हमें ये सूचना चाहिये कि आपने जिला निर्वाचन अधिकारी उधमसिंह नगर से अपने उक्त पत्र के माध्यम से किस कमेटी के किस दिनांक के शिकायती पत्र पर जांच करवायी थी की सूचना देने की कृपा करें।

2– आपके उक्त पत्र पर करायी गयी जांच के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी उधमसिंह नगर ने जांच की जो आख्या आपको भेजी गयी है उस आख्या की छायाप्रति देने की कृपा करें।

3– आपके द्वारा माननीय भारत निर्वाचन आयोग को उक्त क्रम में जो जांच आख्या भेजी गयी है उसकी छायाप्रति व आपके द्वारा इस क्रम में जो पत्र मा0 भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया है उसकी छायाप्रति देने की कृपा करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त तीनों बिन्दुओं की सूचना तुरन्त उपलब्ध करवाने की कृपा करें। ये सूचनायें हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये अतिशीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। 10/– रु0 मूलय का पोस्टल आर्डर सं0–29F 515381 संलग्न है।

श्री सेमवाल
कृ. शीघ्र
5-01PIO
7/4/2015

भवदीय
5-4-15

मुनुवा प्रिन्स
अध्यक्ष
फैज–ए–आम कमेटी काशीपुर

5-4-15